संख्या–6099/9–1–2013–61केएमए/2000

प्रेषक,

राजेश बहादुर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक : 16 दिसम्बर, 2013

विषय : माघ मेला 2013–14 हेतु वाहन पार्किंग हेतु अस्थायी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1388/आठ–वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) दिनांक 20.11.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माघ मेला 2013–14 के दृष्टिगत वाहन पार्किंग हेतु जनपद इलाहाबाद के परगना झूँसी व तहसील फूलपुर के निम्नलिखित गॉवों की उनके सम्मुख अंकित भूमि को भूमि अध्याप्ति अधिनियम,1894 (अधिनियम संख्या–1, 1894) यथासंशोधित, 1984 की धारा 35 की उपधारा–1 के अधीन उल्लिखित तिथियों में अस्थायी रूप से अर्जित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :–

क0सं0	परगना का नाम	तहसील का नाम	ग्रामों के नाम	भूमि (हेक्टेयर में)
दिनांक 02.12.2013 से 28.02.2014 तक				
1	झूँसी	फूलपुर	कटका (11 गाटा)	2.098
			योग–	**2.098**

3. कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।

संख्या–6099(1)/9–1–2013–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद।
3. कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।

FG